न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 45/अपील/2025 (GCMS No. 2025/124)	08.09.2025	23.12.2025

विष्णुदत्त शर्मा आ. कल्याण शर्मा जाति ब्राहमण,
निवासी ग्राम समिधि, तहसील नैनवां, जिला बून्दी (राज0)
— अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, बून्दी
— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी, बून्दी
निर्णय दिनांक 05.08.2025 प्रकरण संख्या 10/2025

उपस्थितः—

1. अपीलांट की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार (रसद)।

:: निर्णय ::

अपीलांट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2025 से व्यथित होकर अन्तर्गत धारा 8(5)आवश्यक वस्तु (विनियमन व वितरण) आदेश, 1976 एवं धारा 15(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 इस न्यायालय में संस्थित की है। अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जिसे बहाल करवाये जाने का निवेदन किया गया।

अपील प्राप्त होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 45/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2025/124 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। जिला रसद अधिकारी बून्दी के पत्र दिनांक 03.10.2025 से मूल पत्रावली प्राप्त हुई।

जिला कलक्टर, बून्दी

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए व्यक्त किया कि अपीलांट के नाम ग्राम पंचायत समिधि, तहसील नैनवां जिला बून्दी में नियमानुसार उचित मूल्य वस्तुऐं एवं सामग्री का वितरण करने के लिए एक प्राधिकार संख्या 826/2000 रेस्पोडेंट द्वारा जारी किया हुआ है। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना, अपीलांट को साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय दिनांक 05.08.2025 पारित कर उक्त प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया, उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से व विधिक प्रावधानों की पालना के बिना पारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त निर्णय में अपीलांट के ऊपर गबन के आरोप लगाये गये है जो निहायत गलत है, क्योंकि अपीलांट की दुकान का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। दिनांक 15.04.2025 को अपीलांट की बन्द थी व ताला लगा हुआ था, इस कारण प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा अपीलांट की दुकान का न तो भौतिक सत्यापन किया गया और न ही दुकान खोल का चेक की गई बल्कि प्रवर्तन अधिकारी ने अपीलांट की अनुपस्थिति में कार्मिक जगदीश सैनी के सामने मौखिक रूप से अंकन करके बिना स्टोक चेक किये स्टोक के संबंध में अपनी रिपोर्ट बना दी एवं पोस मशीन के आधार पर अपीलांट को गबन का आरोपी बना दिया गया, जो गलत है। अपीलांट का प्राधिकार पत्र लगभग 25 वर्ष से जारी हो रहा है, अपीलांट के ऊपर आज तक ऐसा कोई आरोप नहीं लगा है न ही ऐसा कोई गबन अपीलांट ने किया है। अपीलांट को नोटिस की विधिक सूचना प्राप्त नहीं हो पाई एवं अपीलांट कार्यालय में उपस्थित हुआ लेकिन अपीलांट से कोई जवाब नही लिया गया, बल्कि अपीलांट के खिलाफ की गई कार्यवाही मनमानी है। अपीलांट ने प्राधिकार पत्र की शर्तो का कोई उल्लंघन नहीं किया है। दस्तावेजों की समुचित जांच किये बिना एवं भौतिक सत्यापन किये बिना एकपक्षीय रूप से पारित किये गये निर्णय में अपीलांट के ऊपर लगाये गये सभी आरोप भ्रामक व असत्य है, उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण निरस्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार फरमायी जाकर जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.08.2025 को निरस्त फरमाया जाकर प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार (रसद) ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत समिधि का प्रवर्तन अधिकारी नैनवां द्वारा दिनांक 15.04.2025 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट में प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन का आरोप अंकित है। प्रवर्तन अधिकारी, नैनवां द्वारा उचित मूल्य दुकान के भौतिक सत्यापन के समय पोस मशीन में 12141.10 कि.ग्रा.गेहू की मात्रा दर्ज थी, जबकि मौके पर केवल

241 कि.ग्रा. गेहूँ ही भौतिक रूप से पाया गया। इस प्रकार उक्त दुकान में 119 क्विंटल गेहू की अनुपलब्धता मिली। इस कारण विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर डीलर को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 826/2000 को दिनांक 17.04.2025 को निलम्बित किया गया तथा डीलर को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। बार बार निर्देशित करने के बावजूद निलम्बित डीलर द्वारा वैकल्पिक व्यवस्थार्थ नियुक्त मैनेजर नागर को भौतिक रूप से कोई गेहूँ का स्टॉक नहीं सभलाया गया, केवल पोस मशीन, आयरिश मशीन एवं डिजिटल कांटा ही संभला गया। अपीलांट को निलम्बन की 90 दिवस की अवधि में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 05.06.2025 को अंतिम नोटिस जारी किया गया, इसके बावजूद अपीलांट द्वारा सुनवाई हेतु नियत तिथि को भी अनुपस्थित रहा। ऐसी स्थिति में प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर डीलर को राजसहायता प्राप्त 8784.10 किग्रा. गेहू का भौतिक रूप से गबन करने तथा 5640 किग्रा. गेहू निलंबन के बाद भी उपभौक्ताओं को झॉसा देकर एवं उनके अंगूठा लगवाकर अवैध रूप से पोस मशीन से निकासी करना पाये जाने से आदेश 1976 के खंड 8(1) के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाकर जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/– जब्त सरकार किया गया, जो न्यायोचित है। पेरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया। जिससे ज्ञात हुआ है कि श्री विष्णुदत्त शर्मा को उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत समिधि के लिए प्राधिकार पत्र संख्या 826/2000 जारी किया हुआ था। दिनांक 15.04.2025 को वक्त निरीक्षण पोस मशीन में 1241.10 किग्रा. गेहू का स्टॉक दर्ज होना परन्तु उचित मूल्य दुकान पर 241 किग्रा. गेहू ही भौतिक रूप से उपलब्ध होने से 119 क्विंटल गेहू की मात्रा भौतिक रूप से कम पाई जाने की निरीक्षण रिपोर्ट प्रवर्तान अधिकारी नैनवां द्वारा प्रस्तुत की गई। निरीक्षण के दौरान उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत समिधि पोस कोड– 3071 में अनियमितताऐं पायी गयी। जिस पर विभागीय प्रकरण सं. 10/2025 दर्ज कर उचित मूल्य दुकानदार श्री विष्णुदत्त शर्मा को दिनांक 21.04.2025 को अनियमितताओं के संबंध में कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, जो डीलर द्वारा दिनांक 22.04.2025 को स्वयं जिला रसद कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त किया गया। इसके बावजूद अपीलांट नियत पेशी दिनांक 07.05.2025 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। निलम्बित डीलर द्वारा अवशेष स्टॉक एवं पोस मशीन नहीं संभलाये जाने से कार्य व्यवस्थार्थ नियुक्त दुकानदार श्री मैनेजर नागर द्वारा दिनांक 20.05.2025

को चार्ज हस्तान्तरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की लिखित में सूचना दी गई। तत्पश्चात दिनांक 29.05.2025 को अटेच डीलर द्वारा दुकान के चार्ज लेन–देन की रिपोर्ट पेश की गई। उक्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 20.05.2025 को पोस मशीन में 8784.1 किग्रा. गेहू का स्टॉक दर्ज है परन्तु निलंबित डीलर श्री विष्णुदत्त द्वारा भौतिक रूप से कोई गेहूँ का स्टॉक नहीं संभलाया गया, डीलर द्वारा केवल पोस मशीन, आयरिश मशीन एवं डिजिटल कांटा ही संभला गया। निलंबित डीलर द्वारा राजसहायता प्राप्त खाद्य सुरक्षा योजना के गेहू को निलंबन के बाद भी विभागीय आदेशों की अवहेलना कर निरंतर पोस मशीन से दिनांक 18.04.2025 से 20.05.2025 तक कुल 5640 किग्रा. गेहू का आहरण किया गया है, जिनको उपभौक्ताओं को वितरण नहीं किया गया, बल्कि उपभोक्ताओं से पोस मशीन में अंगूठे लगवाकर ऑनलाइन पोस मशीन में दर्ज गेहू के स्टॉक को कम किये जाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार निलंबित डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो की स्पष्ट रूप से अवहेलना की गई। उक्त डीलर को दिनांक 05.06.2025 को अंतिम नोटिस जारी किया गया, लेकिन समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी डीलर किसी भी नियत तिथि को उपस्थित नहीं हुआ, उसके द्वारा न तो जवाब पेश किया गया और न ही वैध दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। इस कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 और राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना पाये जाने से श्री विष्णुदत्त शर्मा उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत समिधि को जारी प्राधिकार पत्र सं. 826/2000 को निरस्त किया जाकर जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/– जब्त सरकार की गई।

अपीलांट द्वारा अपील में प्रथम आपत्ति प्रकट की गई कि अपीलांट की दुकान बन्द थी व ताला लगा हुआ था, इस कारण प्रर्वतन अधिकारी द्वारा उचित मूल्य दुकान का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, अपितु अपीलांट की अनुपस्थिति में अपनी रिपोर्ट बना दी गई। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध निरीक्षण पर्चा दिनांक 15.04.2025 का अवलोकन किये जाने पर प्रकट है कि उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित कार्मिक श्री जगदीश सैनी पुत्र मोतीशंकर जाति माली निवासी ग्राम समिधि की मौजदूगी में पोस मशीन कोड 3071 का वर्तमान स्टॉक दिनांक 15.04.2025 समय 07.06.41 प्राप्त किया गया, जिसके अनुसार 12141.1 किग्रा. गेहू का स्टॉक पाया गया, जबकि मौके पर भौतिक रूप से 241 किग्रा. गेहू उपलब्ध है जो भौतिक निरीक्षण में 119 क्विंटल कम पाया गया। उक्त कम पाये गये स्टॉक के संबंध में अपीलांट द्वारा अपील के दौरान भी अपने बचाव में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। इस प्रकार वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर पोस मशीन से कम स्टॉक गेहूँ उपलब्ध होना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है।

अपीलांट द्वारा अपील में यह भी आपत्ति प्रकट की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसको सुने बिना, साक्ष्य व दस्तावेज लिये बिना एकपक्षीय निर्णय दिनांक 05.08.2025 पारित कर दिया गया, जो त्रुटिपूर्ण है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध कारण बताओं नोटिस दिनांक 21.04.2025 के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त नोटिस पर विष्णुदत्त शर्मा द्वारा दिनांक 22.04.2025 को प्राप्त करने के हस्ताक्षर अंकित है। इसके बावजूद श्री विष्णुदत्त शर्मा द्वारा उक्त नोटिस का जवाब पेश किया जाना नहीं पाया गया। अपीलांट की ओर से जिला कलक्टर बून्दी को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2025 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा की गई निलंबन की कार्यवाही को गलत बताया जाकर डीलर को सुनकर उचित आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांट को जिला रसद अधिकारी बून्दी के यहां जैरकार उक्त विभागीय कार्यवाही की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है। निलंबित डीलर को अपना पक्ष रखने के लिये जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा कई बार कारण बताओं नोटिस जारी किये गये, किन्तु उसके द्वारा अपने बचाव में कोई जवाब/ स्पष्टीकरण या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। इस प्रकार डीलर को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश जारी किये जाने का अपीलांट का आरोप प्रमाणित नहीं है।

यहा यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि निलंबित डीलर द्वारा अचेटमेंट दुकानदार को पोस मशीन सुपुर्द नहीं की गई और गेहू का अवशेष स्टॉक भी नहीं संभलाया गया तथा निलंबन काल में विभागीय नियमों एवं दिशा–निर्देशों की निरंतर अवहेलना कर पोस मशीन से अवैध रूप से गेहू की निकासी की गई। इतना ही नहीं, निलंबित डीलर द्वारा पोस मशीन में अंगूठा लगवाकर मशीन में दर्ज ऑनलाइन स्टॉक को कम किये जाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में उक्त उचित मूल्य दुकान पर अनियमितता पाये जाने संबंधी तथ्य प्रमाणित पाये गये है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों की विवेचना से स्पष्ट होता है कि जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रकरण में निरीक्षण रिपोर्ट की जांच करवाई गई तथा जांच रिपोर्ट के संबंध में उचित मूल्य दुकानदार को सुनवाई हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किये गये। नोटिस तामील होने के बावजूद डीलर की ओर से नोटिस का जवाब पेश नहीं किया गया। इस न्यायालय में भी अपीलांट द्वारा उचित मूल्य दुकान में अनियमितताओं के संबंध में विभागीय कार्यवाही में अंकित तथ्यों को असत्य साबित करने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। जिससे प्रमाणित होता है कि उक्त उचित मूल्य दुकानदार द्वारा विभागीय आदेशों की अवहेलना एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित मूल्य दुकानदार

सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विभागीय निर्देशों एवं नियमों को मद्देनजर रखते हुये तथ्यों की विवेचना की जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन करना पाये जाने पर प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने का आदेश दिनांक 05.08.2025 पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी गयी। ऐसे में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी